न्यायालय–अति. विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.एक्ट, मंदसौर (म.प्र.)

I.A NO-439/1/22
Crime No.-416/2022
SCNDPS 114/2022

महिपाल पिता निर्भयराम पाटीदार आयु– 25 साल,
निवासी–ग्राम लदुना तसहील सीतामउ,
जिला मंदसौर,म.प्र.

:–आवेदक/आरोपी

विरूद्ध

म.प्र. राज्य द्वारा पुलिस थाना
सीतामउ जिला मंदसौर (म.प्र.) **:–.अनावेदक/अभियोगी**

29.12.20222

आवेदक/अभियुक्त महिपाल द्वारा श्री बलराम पाटीदार अधिवक्ता।

अनावेदक/अभियोगी द्वारा निर्मलासिंह चौधरी उपसंचालक अभियोजन, उपस्थित।

पुलिस थाना सीतामउ की ओर से अपराध क्रमांक 416/2022 अंतर्गत धारा 8/15, व 25 एन.डी.पी.एस.एक्ट की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त। प्रवर्तन लिपिक द्वारा मूल प्रकरण क्रंमाक 114/2022 प्रस्तुत।

आवेदक/अभियुक्त महिपाल द्वारा प्रस्तुत **प्रथम जमानत** आवेदन पत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये। केस डायरी व प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

आवेदन पत्र में किए गए उल्लेख एवं रवि पिता अशोक पाटीदार आयु–23 साल निवासी–ग्राम रावटी तहसील सीतामउ जिला मंदसौर द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार आरोपी/आवेदक को उसका भाई एवं धारा 439 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र होना बताया गया है तथा अन्य कोई आवेदन किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करना, लंबित या निराकृत नही होना बताया गया है, जिसका उपसंचालक अभियोजन ने कोई विरोध नहीं किया है। तदर्थ आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं.प्र.सं. माने जाने हेतु पर्याप्त आधार विद्यमान है।

आवेदक/आरोपी के अधिवक्ता का जमानत आवेदन के माध्यम से तर्क यह है कि विपक्षी पुलिस थाना सीतामउ द्वारा आवेदक/अभियुक्त को ग्राम सुरखेडा में शाम को किसी कार्यक्रम से दिनांक 21.06.2022 को गिरफतार किया गया था, तब से वह जेल में निरूद्ध है। प्रकरण मे अनुसंधान पूर्ण होकर चालान दिनांक 16.12. 2022 को पेश हो चुका है। अब कोई अनुसंधान शेष नही रहा है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध आजन्म कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय नही है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की प्रबल संभावना है। आवेदक/अभियुक्त के जेल में रहने से उसके मानसिक पटल पर भी विपरित प्रभाव पडेगा। आवेदक/अभियुक्त

उसके परिवार का कर्ता पुरूष है, उसके जेल मे रहने से परिवार के भुखो मरने की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी। आवेदक/अभियुक्त अपने निवास का स्थाई निवासी है फरार होने की संभावना नही है। न्यायालय द्वारा अधिरोपित जमानत की सभी शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है। अतः आवेदन–पत्र स्वीकार कर योग्य जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर तर्क किया गया है कि प्रकरण अवैध डोडाचूरा के परिवहन से सबंधित है। अतः जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

केस डायरी, प्रतिवेदन के अनुसार थाना सीतामउ के उपनिरीक्षक लाखनसिंह भुरिया द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 22.06.2022 को उक्त पुलिस थाना क्षेत्रांतर्गत साखतली–सुरखेडा कच्चे रास्ते के आसपास आवेदक/अभियुक्त महिपाल के आधिपत्य के बिना नबंर के जान डीयर टैक्टर, ट्राली से कुल 10 क्विटंल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा परिवहन करते हुए पाये जाने पर उनके कब्जे से उक्त मादक पदार्थ जप्त कर आवश्यक कार्यवाही उपरांत धारा 8/15, एन.डी.पी.एस.एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, आवेदक/अभियुक्त महिपाल की उक्त अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर उसके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफतार किया गया।

केस डायरी एवं प्रतिवेदन के परिशीलन से आवेदक/अभियुक्त पर वाणिज्यिक मात्रा से अधिक, 10 क्विटंल डोडाचूरा किलो परिवहन के दौरान जप्त किया जाना बताया गया है, जो कि एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। जहां तक आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन पत्र के संबंध में किए गए तर्कों का प्रश्न है तो वे साक्ष्य की विषयवस्तु हैं, जिनका निराकरण साक्ष्य उपरांत गुणदोषों के आधार पर किया जाना है इसलिए आवेदक/अभियुक्त को उक्त तर्कों का लाभ जमानत के स्तर पर प्रदान नहीं किया जा सकता है।

धारा 37 एनडीपीएस एक्ट, 1985 के आलोक में, प्रकरण के इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष यह विश्वास करने का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है कि वह हस्तगत अपराध में दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नही है।

अतः उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियां एवं कारित अपराध की प्रकृति, जप्तशुदा व्यावसायिक मात्रा के मादक पदार्थ डोडाचूरा को देखते हुए आवेदक को जमानत का पात्र नहीं कहा जा सकता है। अतः आवेदक/अभियुक्त महिपाल की ओर से प्रस्तुत यह **प्रथम** जमानत आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. निरस्त किया जाता है।

आदेश की सूचना आरक्षी केन्द्र को प्रेषित की जावे।

आय.ए.नबंर का परिणाम दर्ज किया जावे।

प्रकरण पूर्ववत दिनांक 12.01.23 को पेश हो।

सही/

(जितेन्द्र कुमार बाजोलिया)
अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश,
(एन.डी.पी.एस. एक्ट) मंदसौर (म.प्र.)